

संयुक्त राष्ट्र वशिव पुनर्रस्थापन फ्लैगशिप्स

प्रलिमिन्स के लिये:

संयुक्त राष्ट्र, वशिव पुनर्रस्थापन फ्लैगशिप्स पुरस्कार, भूमध्यसागरीय वनों की पुनर्रस्थापन पहल, लविगि इंडस पहल, तराई आर्क लैंडस्केप पहल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन

मेन्स के लिये:

वशिव पुनर्रस्थापन फ्लैगशिप्स, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, संरक्षण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भूमध्यसागरीय और दक्षिण पूर्व एशिया की पारस्थितिकी तंत्र के पुनर्रस्थापन से संबंधित **पहलों** को वशिव पुनर्रस्थापन प्रमुख पहलों (World Restoration Flagships) के रूप में मान्यता दी है।

- पारस्थितिकी तंत्र के नमिनीकरण की रोकथाम के उद्देश्य के साथ शुरू की गई ये पहलें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देती हैं।
- इन पहलों के संयुक्त प्रयासों से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि की पुनर्रस्थापन और लगभग 500,000 रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में मान्यता प्राप्त 7 वशिव पुनर्रस्थापन फ्लैगशिप्स कौन से हैं?

- **भूमध्यसागरीय वनों की पुनर्रस्थापति करने की पहल:**
 - इस पहल में लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया और तुर्की जैसे देश शामिल हैं।
 - इस पहल के अंतर्गत एक नवीन दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्राकृतिक आवासों तथा सुभेद्य पारस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित और पुनर्रस्थापित किया गया है।
 - इस पहल के तहत वर्ष 2017 से अभी तक लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर में वसितरति वनों का पुनर्रस्थापन किया गया है तथा इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 8 मिलियन से अधिक क्षेत्रफल का पुनर्रस्थापन करना है।
- **लविगि इंडस पहल:**
 - वर्ष 2022 में हुए जलवायु परिवर्तन के कारण आए बाढ़ के बाद पाकिस्तान की संसद द्वारा इस पहल का अनुमोदन किया गया। आधिकारिक तौर पर इसका शुभारंभ **शर्म अल-शेख** में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन में किया गया।
 - इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सधु नदी बेसिन के 25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्रस्थापित करना है।
 - इसका उद्देश्य सधु नदी को संरक्षित कर उसे एक **जीवंत इकाई** के रूप में प्रतर्बिबित करते हुए वशिव की अन्यत्र नदियों की संरक्षा करना है।
 - इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कनाडा, इक्वाडोर, भारत, न्यूज़ीलैंड, पेरू और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।
- **एक्सओन एंडनि सामाजिक आंदोलन:**
 - इसका नेतृत्व एक गैर-लाभकारी संगठन, एंडयिन इकोसिस्टम एसोसिएशन (ECOAN) द्वारा किया जाता है तथा इसका लक्ष्य **लाख हेक्टेयर एंडयिन वन भूमि** की रक्षा और पुनर्रस्थापना करना है।
 - एंडयिन वन एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन हैं जो **दक्षिण अमेरिका** में एंडीज़ पहाड़ों के समतल पर स्थित हैं।
 - यह पहल **स्थानीय समुदायों के लिये भूमि स्वामित्व** सुरक्षित करने और वन की कटाई तथा खनन की रोकथाम में सहायता करती है।
- **श्रीलंका मैंग्रोव उत्थान पहल:**
 - यह **स्थानीय समुदायों के सह-नेतृत्व** वाला एक विज्ञान-संचालित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पारस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक संतुलन पुनर्रस्थापित करना है।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई तथा इसके तहत अभी तक 500 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्र को पुनर्स्थापित किया गया है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 10,000 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्र का पुनर्स्थापन करना है।
- **तराई आरक लैंडस्केप (TAL) पहल:**
 - इस पहल का उद्देश्य नागरिक वैज्ञानिकों, समुदाय-आधारित अवैध शिकार-रोधी इकाइयों तथा वन रक्षकों के रूप में कार्य करने वाले स्थानीय समुदायों के सहयोग से TAL के महत्वपूर्ण कॉरडोर के वनों को पुनर्स्थापित करना है।
 - TAL का वसितार पश्चिम में **यमुना नदी** और पूर्व में **भागमती नदी** के बीच 810 किमी. तक है।
 - इसमें शिवालिक पहाड़ियाँ, नकिटवर्ती भाभर क्षेत्र और तराई बाढ़ के मैदान शामिल हैं, जो भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों तथा नेपाल की नमिन पहाड़ियों को समाहित करते हैं।
 - इस पहल का उद्देश्य नेपाल के 66,800 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना है जिससे अनुमानित तौर पर देश के लगभग 500,000 परवासियों की आजीविका में सुधार होगा।
 - इसके अतिरिक्त इस पहल के तहत भारत और नेपाल द्वारा साझा किये गए संबद्ध क्षेत्र में बाघों के संरक्षण का भी प्रयास किया जाता है जिसकी संख्या वर्तमान में 1,174 हो गई है।
 - इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 350,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना है।
- **रीग्रीनगि अफ्रीका एग्रीकलचर:**
 - इस पहल का उद्देश्य **कार्बन भंडारण** में वृद्धि करना, फसल और घास की पैदावार को बढ़ाना, बाढ़ के प्रति मृदा का लचीलापन बढ़ाना तथा मृदा को निश्चित नाइट्रोजन प्रदान करना है जो प्राकृतिक उत्वरक के रूप में कार्य करता है।
- **अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में वनवृद्धि की पहल:**
 - वर्ष 2030 तक पुनर्स्थापन का वसितार 41,000 से 229,000 हेक्टेयर तक।
 - इसमें अफ्रीकी किसानों को शामिल किया गया है, जो प्रतिवर्ष लाखों पेड़ लगाते हैं।
 - सतत विकास का समर्थन करते हुए 230,000 से अधिक नौकरियाँ पैदा करता है।

संयुक्त राष्ट्र वशिव पुनर्स्थापन फ्लैगशिप क्या है?

- **परिचय:**
 - वशिव पुनर्स्थापन फ्लैगशिप **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme - UNEP)** के नेतृत्व में पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक का हिस्सा है और **संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (Agriculture Organization of the UN - FAO)** जिसका उद्देश्य सभी महाद्वीप और महासागर में पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का प्रतिकार करना है।
 - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021-2030 को पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है।
 - संयुक्त राष्ट्र वशिव पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पुरस्कार के माध्यम से वशिव पुनर्स्थापन फ्लैगशिप को मान्यता देता है।
 - यह पुरस्कार UNEP और FAO के नेतृत्व में पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी महाद्वीपों तथा महासागरों में पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का प्रतिकार करना है।
 - इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता **UNO से तकनीकी और वित्तीय सहायता के पात्र** बन जाते हैं।
 - यह पुरस्कार एक अरब हेक्टेयर (चीन से बड़ा क्षेत्र) की पुनर्स्थापन करने की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बाद उल्लेखनीय पहलों पर नज़र रखता है।
- **महत्त्व:**
 - उनकी पुनर्स्थापन की सफलता की कहानियों की वैश्विक मान्यता और उत्सव।
 - प्रतिचयनित पहल (केवल विकासशील देशों के लिये) 500,000 अमेरिकी डॉलर तक की तकनीकी और वित्तीय सहायता।
 - वैश्विक ध्यान और निवेश का आकर्षण।
 - संयुक्त राष्ट्र दशक के प्रकाशनों, अभियानों, आउटरीच, वकालत और शिक्षा प्रयासों में वशिष्टता।
 - महासभा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में सूचीबद्ध करना।

पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन क्या है?

- **परिचय:**
 - यह उन पारिस्थितिकी तंत्रों की पुनर्स्थापन में सहायता करने की प्रक्रिया है जो खराब हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं।
- **क्षरण के कारण:**
 - कटाई, सड़क निर्माण, अवैध शिकार, अत्यधिक मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियाँ, भूमिसिफ करना, शहरीकरण, तटीय कटाव और **खनन** जैसी मानवीय गतिविधियाँ **पारिस्थितिकी तंत्र** के क्षरण, क्षरण या वनाश का कारण बन सकती हैं।
- **लक्ष्य और उद्देश्य:**
 - पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन का उद्देश्य पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों के लिये पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को स्वयं पूरा करने के लिये परिस्थितियों बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति शुरू करना या तेज़ करना है।
- **वधियाँ एवं क्रियाएँ:**
 - पुनर्स्थापन में आक्रामक प्रजातियों को नष्ट करना, लुप्त प्रजातियों को पुनर्स्थापित करना, भू-आकृतियों को बदलना, वनस्पतिरोपण, जल विज्ञान का पुनर्चक्रण करना और वन्य जीवन को फिर से शामिल करना जैसी कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं।

- पुनर्र्स्थापन एक बार की गतिविधि नहीं है, यह पारस्थितिकी तंत्र के ठीक होने और परपिक्व होने के साथ जारी रहती है। पुनर्र्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान अप्रत्याशति बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **पुनर्र्स्थापन एवं संरक्षण:**
 - पुनर्र्स्थापन संरक्षण का वकिलप नहीं है। हालाँकि यह पारस्थितिकी तंत्र में जैवविविधता, संरचना और कार्य को बहाल कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग वनाश या अस्थिर उपयोग को उचित ठहराने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
- **भारत की पुनर्र्स्थापन पहल:**
 - सुंदरबन मैंग्रोव पुनर्र्स्थापन।
 - जलीय पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय योजना
 - हरति भारत के लिये राष्ट्रीय मशिन (GIM)।
 - पश्चिमी घाट वन परदिश्य पुनर्र्स्थापन।
 - ग्रीन वाल।
 - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP)।
 - राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना।

?????:

फीमेल जेनेटिल म्यूटलेशन

प्रलिमिंस के लिये:

महिला जननांग विकृति, महिला जननांग विकृति के लिये शून्य सहनशीलता का अंतरराष्ट्रीय दविस, [संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष](#), [संयुक्त राष्ट्र बाल कोष](#)

मेन्स के लिये:

महिलाओं से संबंधित चुनौतियाँ, FGM उन्मूलन में चुनौतियाँ

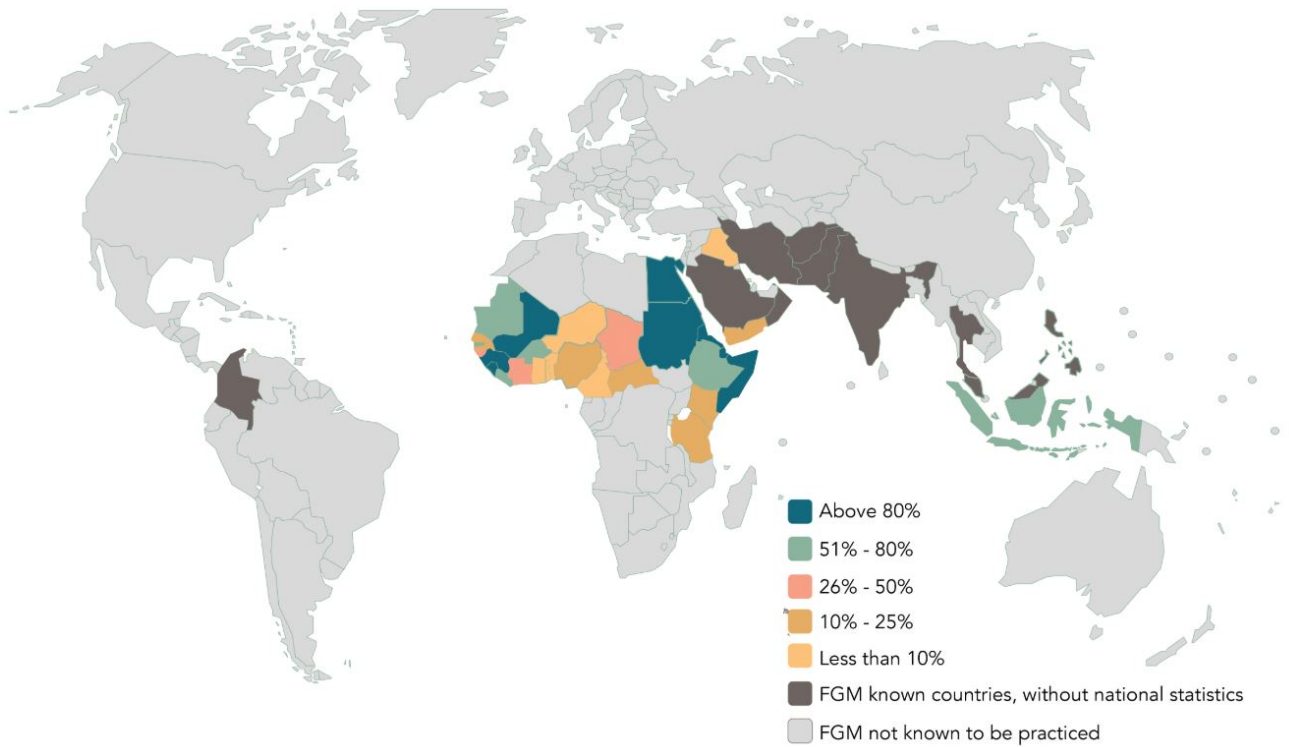
स्रोत: [द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कहा कि वर्ष 2024 में दुनिया भर में लगभग 44 लाख लड़कियों पर [महिला जननांग विकृति \(female genital mutilation\)](#) का खतरा मंडरा रहा है।

महिला जननांग विकृति क्या है?

- **परिचय:** महिला जननांग विकृति (Female genital mutilation - FGM) में वे सभी प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनमें **चिकित्सीय कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है** और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों तथा महिलाओं के मानवाधिकारों, स्वास्थ्य एवं अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **प्रसार:** यह मुख्यतः **पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका के साथ-साथ चुनदा मध्य पूर्वी तथा एशियाई देशों में केंद्रित है।**
 - हालाँकि बढ़ते प्रवासन के साथ, FGM एक वैश्विक चला बन गया है, जो **यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका** में भी लड़कियों एवं महिलाओं को प्रभावित कर रहा है।
- **प्रभाव:** जो लड़कियाँ, महिला जननांग विकृति से गुजरती हैं उन्हें गंभीर दर्द, आघात, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और पेशाब करने में कठिनाई जैसी अल्पकालिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा [मानसिक स्वास्थ्य](#) पर दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं।



- **भारत में स्थिति:** वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो देश में FGM प्रथा पर प्रतिबंध लगाता हो।
 - वर्ष 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा था कि वर्तमान में कोई आधिकारिक डेटा या अध्ययन नहीं है जो भारत में FGM के अस्तित्व का समर्थन करता हो।"
 - हालाँकि कुछ अन्य अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार, FGM की प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में बोहरा समुदाय के बीच प्रचलित हैं।
- **FGM उन्मूलन में चुनौतियाँ:**
 - सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड: FGM अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से निहित होता है, समुदाय इसे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के रूप में मानते हैं।
 - इन पूर्ववर्ती मान्यताओं और प्रथाओं को बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 - जागरूकता और शिक्षा का अभाव: जिन समुदायों में FGM का अभ्यास किया जाता है उनमें से कई व्यक्ति इस अभ्यास के हानिकारक परिणामों को पूरी तरह समझने में अक्षम हैं।
 - FGM से संबंधित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता तथा शिक्षा की कमी इस प्रथा को जारी रखने में योगदान दे सकती है।
 - पर्याप्त डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग का अभाव: FGM प्रचलन पर सीमित डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग का अभाव है जो इस मुद्दे के दायरे को समझने तथा इसका समाधान करने के प्रयासों में बाधा डालती है।
- **FGM के उन्मूलन हेतु वैश्विक पहलें:**
 - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने वर्ष 2008 से फीमेल जेनटिल म्यूटलेशन (FGM) के उन्मूलन हेतु संयुक्त रूप से सबसे बड़े वैश्विक कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
 - वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रथा के उन्मूलन के प्रयासों में प्रगति करने के उद्देश्य से 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनटिल म्यूटलेशन के रूप में घोषित किया।

- वर्ष 2024 थीम: हर वॉइस, हर फ्यूचर आवाज़ (Her Voice. Her Future)।
 - संयुक्त राष्ट्र, [सतत विकास लक्ष्य 5](#) का अनुपालन करते हुए वर्ष 2030 तक इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये प्रयासरत है।
- SDG 5.3 का उद्देश्य समाज में व्याप्त सभी **कुप्रथाओं**, जैसे कबाल, अल्प आयु तथा ज़बरन विवाह और फीमेल जेनटिल म्यूटलेशन को खत्म करना है।

आगे की राह

- **वधिन और नीतिप्रवर्तन:** FGM को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिये मौजूदा कानूनों को सुदृढ़ करना चाहिये तथा इसका अभ्यास करने अथवा इसे करने की सुविधा प्रदान कराने वालों पर दंड अधिरोपित करने की आवश्यकता है।
 - सरकारों को वधिप्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से इन वधियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये।
- **जागरूकता और शिक्षा:** शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और लैंगिक स्वास्थ्य पर FGM के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की जानी चाहिये।
 - इन अभियानों में न केवल अभ्यास करने वाले समुदायों के व्यक्तियों को बल्कि अन्य लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- **मानवाधिकार ढाँचे में शामिल करना:** यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि FGM से निपटने के प्रयास मानवाधिकार सद्घातों पर आधारित हों तथा महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
 - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढाँचे में FGM की रोकथाम तथा निवारण उपायों को शामिल करने का समर्थन किया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[[[?]]]:

प्रश्न. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये? (2015)

श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवाएँ

भारत के आर्थिक संवृद्धि मॉडल पर पुनर्विचार

यह एडिटरियल 14/02/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित [“Why India needs deep industrialisation”](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत की आर्थिक चुनौतियों से निपटने और उसके विकास पथ को बनाए रखने के लिये गहन औद्योगीकरण के महत्त्व के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिंस के लिये:

[औद्योगिक उत्पादन सूचकांक \(IIP\)](#), [MSME क्षेत्र](#), [उत्पादन-लक्षित प्रोत्साहन \(PLI\)](#), [पीएम गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान](#), [स्टार्ट-अप इंडिया](#), [PPP मॉडल](#), [उद्योग 4.0](#), सेवा क्षेत्र, [वनरिमाण क्षेत्र](#)।

मेन्स के लिये:

भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ, औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु हाल की सरकारी पहल।

[कोविड-19 महामारी](#) ने वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को नया आकार प्रदान किया है, जहाँ वैश्वीकरण से पीछे हटने की स्थिति बनी है। विश्व के देश अब गहन औद्योगीकरण नीतियों और राज्य नेतृत्व वाले आर्थिक हस्तक्षेपों को अपना रहे हैं। अमेरिका के मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम (Inflation Reduction Act), [यूरोपियन ग्रीन डील \(European Green Deal\)](#) और भारत की [‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल](#) को इसके उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है।

इस परदृश्य में, भारत द्वारा भी ऐसी नीतियाँ अपनाये जाने की उम्मीद है जो वनरिमाण और सेवा क्षेत्र दोनों के तीव्र विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हों, ताकि जनसांख्यिकी और [औद्योगिक क्रांति 4.0](#) के लाभों का लाभ उठाया जा सके।

औद्योगीकरण बनाम गहन औद्योगीकरण :

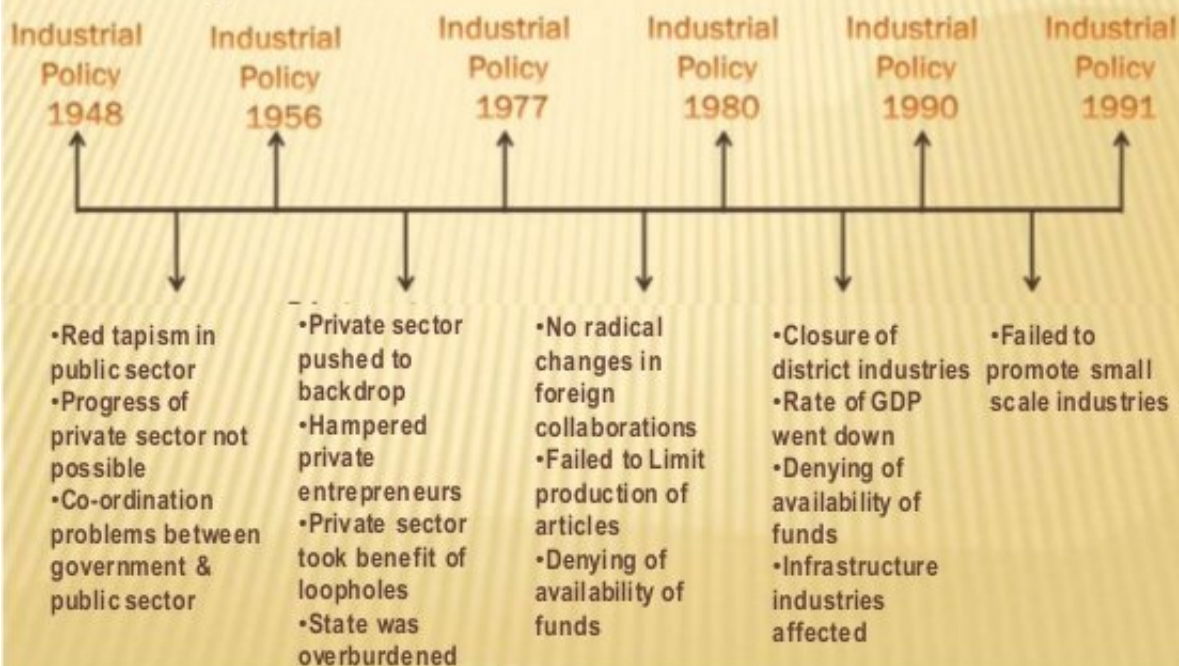
- गहन औद्योगीकरण (Deep Industrialisation) अपने फोकस और दायरे में पारंपरिक औद्योगीकरण से भिन्न है।
- जबकि औद्योगीकरण आमतौर पर किसी क्षेत्र या देश में उद्योगों के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, गहन औद्योगीकरण संवहनीय एवं समावेशी विकास पर बल देते हुए आगे बढ़ता है।
 - इसमें उद्योगों को उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना शामिल है।
 - गहन औद्योगीकरण का लक्ष्य केवल तीव्र औद्योगिक विस्तार के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण है।

भारत में गहन औद्योगीकरण की आवश्यकता क्यों है ?

- **अप्रभावी वनिरिमाण प्रतस्पर्द्धात्मकता:**
 - वनिरिमाण क्षेत्र में प्रतस्पर्द्धात्मकता में सुधार के लिये हाई-टेक अवसंरचना और कुशल जनशक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत को प्रमुख शहरों के बाहर सीमिति **दूरसंचार सुविधाओं** और घाटे में चल रहे राज्य बजटों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - भारत में औद्योगिक नीतियों वनिरिमाण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में विफल रही हैं, जिसका **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में योगदान वर्ष 1991 से लगभग 16% के स्तर पर गतिहीन बना हुआ है।
- **पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का अभाव:**
 - अंतर्राष्ट्रीय रेल नेटवर्क और वभिन्न समस्याओं से घरे सड़क परिवहन के साथ भारत की परिवहन अवसंरचना दबाव में है। ये चुनौतियों माल की कुशल आवाजाही में बाधा डालती हैं और वनिरिमाण प्रतस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
- **MSME क्षेत्र की बाधाएँ:**
 - मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में **MSME क्षेत्र** को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। MSME क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिये इस पूर्वाग्रह में सुधार की आवश्यकता है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है।
- **आयात पर उच्च निर्भरता:**
 - भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, लौह एवं इस्पात, रसायन एवं उर्वरक सहित वभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये विदेशी आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता आयात प्रतिस्थापन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
 - भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल औद्योगिक उत्पादन 38% योगदान देता है। सगिपुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे नव-औद्योगिक देशों में यह प्रतिशत क्रमशः 52%, 29% और 28% है।
- **प्रभावी औद्योगिक नीति सुधारों का अभाव:**
 - ऐतिहासिक रूप से, औद्योगिक स्थानों को प्रायः लागत-प्रभावशीलता के बजाय राजनीतिक कारणों से चुना गया। इसके अतिरिक्त, आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से लालफीताशाही एवं श्रम-प्रबंधन संबंधी मुद्दों के कारण अक्षमता एवं हानिकारी स्थिति बनी, जिससे उन्हें बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण सरकारी व्यय की आवश्यकता हुई।

TIMELINE OF INDUSTRIAL POLICY REFORMS

Industrial Policy Evolution→



■ नविश का चयनात्मक प्रवाह:

- उदारीकरण के बाद नविश के वर्तमान चरण में, जबकि कुछ उद्योगों में पर्याप्त नविश आ रहा है, कई बुनियादी एवं रणनीतिक उद्योगों— जैसे इंजीनियरिंग, बजिली, मशीन टूल्स आदि में नविश की धीमी गति चिंता का विषय है।

■ वषिम उपभोग-प्रेरति विकास:

- व्यापार नीति सुधार पर अधिक बल दिये बिना आंतरिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 'नविश' या 'नरियात-प्रेरति विकास' के बजाय 'उपभोग-आधारित विकास' की राह खुली।

भारत के औद्योगीकरण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

■ महामारी के बाद भारत का विकृत आर्थिक परिदृश्य:

- भारत ने महामारी से अपेक्षाकृत तेजी से उबरते हुए अपनी विकास गति को बनाए रखा है। हालाँकि यह 'समय-पूर्व वऔद्योगीकरण' (premature deindustrialization) का अनुभव कर रहा है, जहाँ उच्च विकास से एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को लाभ होता है, जिससे मौजूदा असमानताएँ बढ़ जाती हैं।
 - जहाँ महंगी कारें धड़ाधड़ बिक रही हैं, वहीं आम लोग उच्च खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं, जो भारत के विकास मॉडल में संरचनात्मक खामियों को उजागर करता है।

■ सेवा-आधारित विकास की कमियाँ:

- हालाँकि 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से सेवा-संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन इसने कृषि से श्रम को उतने प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं किया है जतिना कि विनिर्माण ने किया।
- इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र को अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, जिससे गहरी असमानताएँ पैदा होती हैं। उच्च शिक्षा में नविश ने बुनियादी एवं प्रारंभिक शिक्षा की अपेक्षा में योगदान किया है, जिससे असमानताएँ और बढ़ गई हैं।

■ शैक्षिक असमानताएँ और औद्योगिक गतिहीनता:

- भारत की शिक्षा प्रणाली गहरी असमानताओं को परिलक्षित करती है, जहाँ मानव पूंजी में नविश अभिजात वर्ग के पक्ष में झुका हुआ है। इसके कारण बड़े पैमाने पर उद्यमशील उद्यमों का अभाव है जो चीन से उलट स्थिति है।
- स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की भिन्न गुणवत्ता असमान श्रम बाजार परिणामों में योगदान करती है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के पहली पीढ़ी के स्नातकों को प्रभावित करती है।

■ औद्योगीकरण में सांस्कृतिक कारक:

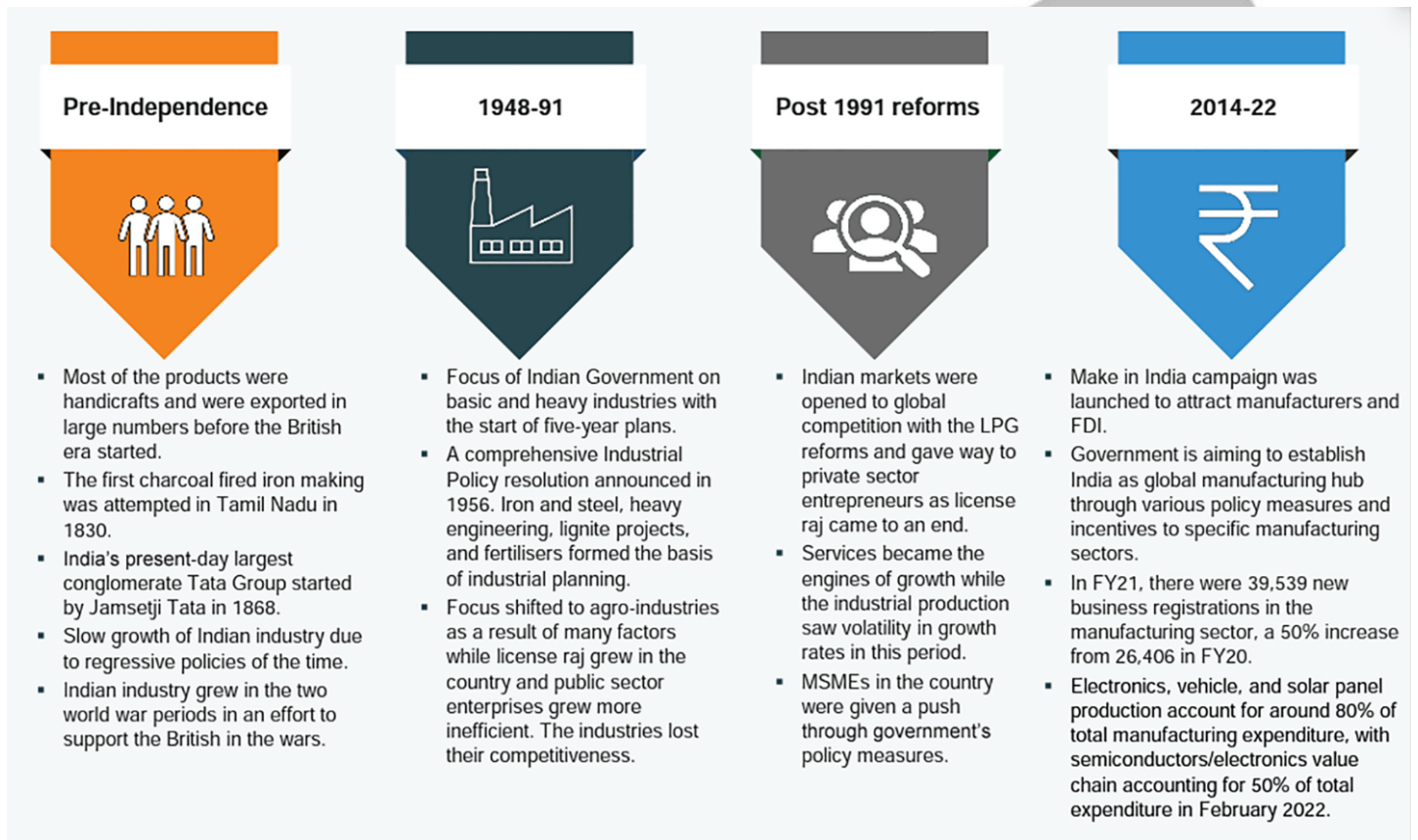
- औद्योगीकरण के लिये एक प्रमुख सांस्कृतिक शर्त है जन शिक्षा, जिसका भारत में अभाव है। जोएल मोकरी (Joel Mokyr) का मानना है कि तकनीकी प्रगति एवं विकास के लिये उपयोगी ज्ञान का उदय महत्वपूर्ण है।
- भारत में विनिर्माण के लिये आवश्यक कुछ व्यवसायों का सांस्कृतिक अवमूल्यन, साथ ही व्यावसायिक कौशल का अवमूल्यन, जैविक नवाचार और औद्योगिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।

■ रोज़गार सृजन में चुनौतियाँ:

- भारत का श्रम बाज़ार नमिन वेतन वाली और अनौपचारिक नौकरियों से चहिनति होता है। अधिकांश MSMEs असंगठित क्षेत्र में हैं, जनिमें रोज़गार सृजन के लयि लचीलेपन का अभाव है। चीन का अनुभव रोज़गार सृजन के लयि वनिरिमाण क्षेत्र में 'स्केल' या पैमाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
 - भारत के 63 मिलियन MSMEs में से 99% से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं जनिमें उत्पादक रोज़गार सृजन के लयि बहुत कम लचीलापन है। उनका नरिवाह अस्तित्व नौकरियों या पैमाने के लयि कोई नुस्खा नहीं है। चीन का उदाहरण अधिक से अधिक नौकरियों के लयि वनिरिमाण में पैमाने के प्रभाव का सुझाव देता है।
 - नयिमति एवं व्यापक डेटा के अभाव में मेक-इन-इंडिया (MII) के प्रभाव का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है। जबकि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) उच्च-स्तरीय वनिरिमाण को लाभ पहुँचाती है, पारंपरिक वनिरिमाण क्षेत्र आम लोगों के मध्य रोज़गार सृजन के लयि महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।

■ संरक्षणवाद की चिंताएँ और अतीत के अनुभव:

- 1970 और 1980 के दशक में संरक्षणवाद के पछिले अनुभवों ने कमी और रेंट-सीकगि (rent-seeking) व्यवहार का रास्ता खोला, जिससे उपभोक्ताओं की तुलना में उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ऐसी आशाकएँ हैं कि MII के तहत संरक्षणवादी उपायों के सदृश परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- वर्ष 2011 की राष्ट्रीय वनिरिमाण नीति (National Manufacturing Policy- NMP) ने वनिरिमाण क्षेत्र में अवसंरचना, वनियमन एवं जनशक्ति में व्याप्त बाधाओं को उजागर किया। MII का लक्ष्य NMP के उद्देश्यों के आधार पर वनिरिमाण के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 25% तक बढ़ाना और 100 मिलियन नौकरियाँ पैदा करना है, लेकिन स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।



■ सहायक नीतियों को लेकर चिंताएँ:

- जबकि MII मुख्य नीति है, 'मेड इन इंडिया' और 'मेक फॉर इंडिया' जैसी सहायक पहलें क्रमशः ब्रांडगि एवं घरेलू वनिरिमाण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हालाँकि, ये पहलें MII की वैश्विक प्रतस्पर्द्धात्मकता के व्यापक लक्ष्य के लयि गौण ही हैं।

भारत में गहन औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लयि सुझाव:

■ आर्थिक विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करना:

- रघुराम राजन और रोहिति लांबा ने 'बरेकगि द मोलड: रीइमेजनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर' में एक अपरंपरागत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है। वे वनरिमाण-आधारित विकास से उच्च-कौशल, सेवा-संचालित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं।
 - इसके साथ ही, इस दृष्टिकोण को वर्तमान औद्योगिक नीतियों के साथ तालमेल में होना चाहिये ताकि इसकी प्रभावशीलता का प्रभावी ढंग से दोहन किया जा सके।

■ गहन औद्योगीकरण के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण:

- भारत को अपने समाज को मौलिक रूप से बदलने के लिये गहन औद्योगीकरण की आवश्यकता है, न कि केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की। इसमें व्यावसायिक कौशल और कारीगर ज्ञान के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ श्रम, उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी का पुनर्मूल्यांकन करना शामिल होगा।
- गहन औद्योगीकरण न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि जाति और वर्ग में नहिती सामाजिक विभाजन को भी संबोधित करेगा।

■ श्रम-गहन क्षेत्रों पर बल देना:

- भविष्य की औद्योगिक नीतियों में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों पैदा करने के लिये श्रम-गहन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जारी रहना चाहिये। उच्च-स्तरीय वनरिमाण पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिये पारंपरिक क्षेत्र महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

■ नई औद्योगिक नीति (NIP '23) की भूमिका:

- NIP का मसौदा (जो फलिहाल रोक कर रखा गया है) उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को पूरकता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, दक्षता बढ़ाना और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना है (वर्षों से खलौने, परधान और जूते जैसे क्षेत्रों में)।
- इसे संबंधित राज्य सरकारों की स्थानीय आधारित आकांक्षाओं और वनरिमाण विशेषज्ञता का अनुसरण करते हुए शामिल एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

■ समावेशी रोजगार सृजन के लिये औद्योगिक नीति:

- भारत जैसे श्रम-प्रचुर देश में, औद्योगिक नीति को आम लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के लिये रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिये। उत्पादक रोजगार सृजित करने और 'स्केल' हासिल करने के लिये श्रम-गहन वनरिमाण महत्वपूर्ण है।

■ नीति निर्माण में डेटा का महत्व:

- आर्थिक नीति निर्माण के लिये डेटा व्याख्या और नैतिक दिशा-निर्देश दोनों की आवश्यकता होती है। PLI के प्रभाव पर उच्च-आवृत्ति डेटा के अभाव में, नीति निर्माताओं को औद्योगिक नीति को प्रभावी ढंग से आकार देने के लिये व्यापक संदिग्धता पर भरोसा करना चाहिये।

■ विकास के लिये औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाना:

- रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये औद्योगिक नीतियों (MII सहित) का लाभ उठाया जाना चाहिये। हालाँकि चुनौतियाँ मौजूद हैं, श्रम-गहन वनरिमाण पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को सतत वृद्धि और विकास प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
 - MII भारत की आत्मनिर्भरता की पछिली नीतियों—जैसे 1970 के दशक के लाइसेंस राज और आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण, से अलग है। जबकि संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चाएँ मौजूद हैं, MII का लक्ष्य पछिली वफिलताओं को दोहराए बिना घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करना है।
 - इलेक्ट्रॉनिक्स वनरिमाण वस्तुओं के आयात में उच्च टैरिफ बाधाओं जैसी संरक्षणवादी प्रवृत्तियों ने इन निर्माताओं को अपने आधार चीन, वयितनाम आदि देशों में स्थानांतरित करने के लिये प्रेरित किया है। इस नीतिगत वसिगतिका नविवरण किया जाना चाहिये।

■ आर्थिक विकास में IR 4.0 को एकीकृत करना:

- इसकी वशिषता यह है कि डिजिटल, भौतिक एवं जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और यह डेटा द्वारा संचालित होता है।
- प्रमुख तकनीकों में क्लाउड कंप्यूटिंग, [बिग डेटा](#), स्वायत्त रोबोट, [साइबर सुरक्षा](#), समिलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और [इंटरनेट ऑफ थिंग्स \(IoT\)](#) शामिल हैं।
 - उदाहरण: [जेनोबोट्स \(Xenobots\)](#), जो एक मिलीमीटर से भी कम लंबे होते हैं, 'फर्स्ट लविंग रोबोट' के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें 2020 में अफ्रीकी क्लॉ मैडक की स्टेम कोशिकाओं से बनाया गया था और इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके प्रोग्राम किया जा सकता है।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये हाल की सरकारी पहलें:

- [उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन \(PLI\)](#)
- [पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान](#)
- [भारतमाला परियोजना](#)
- [स्टार्ट-अप इंडिया](#)
- [मेक इन इंडिया 2.0](#)
- [आत्मनिर्भर भारत अभियान](#)
- [वनिविश योजनाएँ](#)
- [वशिष आर्थिक क्षेत्र](#)
- [एमएसएमई इनोवेटिव योजना](#)

नबिर्कष:

